

संस्थान कार्य विभाग
भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की

पत्रांक सं० स.का.वि./निविदा/संग्रहीत जलावन लकड़ी (मिश्रित सोख्ता)/सं वा./2066

दिनांक: जनवरी 16, 2026

अल्पकालिन-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की परिसर में 156/1 विकास कुन्ज के पास संग्रहीत प्रकाष्ठ/मिश्रित सोख्ता की बिक्री / निस्तारण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अलग-अलग बन्द लिफाफे में निविदाएं संस्थान वास्तुविद के कार्यालय में दिनांक 30.01.2026 को 12.00 बजे तक आमंत्रित की जायेगी। निविदाएं उसी दिन अपराह्न 12.30 बजे खोली जायेंगी।

कार्य का नाम	धरोहर राशि (रु०)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रु०)
156/1 विकास कुन्ज के पास संग्रहीत प्रकाष्ठ/मिश्रित सोख्ता लगभग 20.00 घन मीटर की बिक्री / निस्तारण हेतु।	20000.00	1180.00

निविदा की शर्तें :-

- निविदा प्रपत्र, दिनांक 29-01-2026 को अपराह्न 5.00 बजे तक आवेदन पत्र के साथ स्वयं हस्ताक्षरित आई. डी., आवश्यक धरोहर धनराशि के रूप में नेशनलाइज्ड बैंक की एफ.डी.आर. जो संस्थान वास्तुविद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की [Institute Architect, I.I.T.Roorkee] के नाम बन्धक हो, व निविदा प्रपत्र (GST सहित) मूल्य रु. 1180/- वित एवं लेखा कार्यालय में जमा कर प्राप्त रसीद अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा कर, प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदा, निविदा प्रपत्र पर ही मान्य होगी। धनराशि को अंको व शब्दों में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में स्पष्ट लिखी जाये कटिंग पर निविदाकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने आवश्यक है। अधूरी, कटिंग अथवा ओवरराईटिंग, बिना हस्ताक्षर की निविदा स्वीकार नहीं होगी व बिना बोले निरस्त कर सील बन्द कर दी जायेगी।
- निविदा प्रपत्र में आवेदनकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई. डी. (यदि है तो) स्पष्ट रूप में आवेदन पत्र में लगाई गयी आई. डी. के अनुरूप लिखना आवश्यक है। पते के सत्यापन के लिए आधार कार्ड/पैन कार्ड/फोटो पहचान पत्र में से किसी एक स्वयं सत्यापित फोटो प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- यदि दो या दो से अधिक ठेकेदारों की निविदा की दरें समान पाई जाती है तो Negotiations के पश्चात सबसे अधिक दरें देने वाले निविदाकर्ता की निविदा मान्य होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु निम्न दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदनकर्ता द्वारा निम्न दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते है तो आवेदनकर्ता को निविदा प्रपत्र नहीं दिया जायेगा।
 - जी० एस० टी० रजिस्ट्रेशन
 - पेन कार्ड
 - आधार कार्ड
 - एफ० डी० आर०
 - मोबाइल नं०
 - निविदा प्रपत्र मूल्य रसीद
- निविदाकर्ता निविदा देने से पूर्व उल्लेखित प्रकाष्ठ/मिश्रित सोख्ता को अवश्य जांच लें। बाद में कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।
- निविदादाता द्वारा कुल योग वास्तविक कुल योग से कम दर्शाया गया है व उसी कुल योग को उसने शब्दों में अधिक लिखा है उस स्थिति में जो कुल योग निविदादाता द्वारा शब्दों में व अंको में से अधिकतम दर्शाया गया है। वही मान्य होगा।
- उच्चतम निविदा का चयन प्राप्त उच्चतम दरों के आधार पर होगा। निविदादाता द्वारा दर्शायी गई दरों को शब्दों में व अंको में से जो अधिकतम होगी वही मान्य होगी।
- निविदाकर्ता को निविदा खुलने के समय उपस्थित रहना चाहिए व निर्णय हेतु निविदा, खुलने से तीन माह तक वैध होगी।
- प्रथम उच्चतम निविदाकर्ता को स्वीकृति पत्र निर्गत के पाँच दिनों के अन्दर निविदा की पूरी धनराशि कुलसचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (Registrar, I.I.T. Roorkee) के नाम बने बैंक ड्राफ्ट अथवा एन ई एफ टी वित्त एवं लेखा कार्यालय में जमा कर प्राप्त रसीद की मूल प्रति संस्थान वास्तुविद कार्यालय में जमा करानी होगी। जिसके पश्चात स्वीकृति पत्र के अनुरूप विन्हित लकड़ी उठायी जायेगी। ऐसा न करने पर स्वीकृति निरस्त कर निविदाकर्ता की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- लकड़ी उठाने का कार्य स्वीकृति पत्र निर्गत के 25 दिनों के अन्दर कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में पूर्ण करना होगा।
- लकड़ी उठाते समय यदि किसी प्रकार की संस्थान की सम्पत्ति की क्षति होती है तो निविदाकर्ता को अपने व्यय से पूरी करनी होगी।



13. लकड़ी की निकासी हेतु नियमानुसार संस्थान से गेट पास व निकासी अनुमति कार्यालय, वन क्षेत्राधिकारी वनप्रभाग, गणेशपुर, रुड़की से निविदाकर्ता को स्वयं अपने स्तर से लेनी होगी।
14. लकड़ी उठाने के बाद साईट साफ कर छोड़नी होगी। उक्त कार्य विलम्ब से करने पर निविदाकर्ता से 1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क वसूला जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो धरोहर राशि जब्त व निविदाकर्ता को ब्लेक लिस्ट भी किया जा सकता है।
15. लकड़ी की निकासी के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करना होगा।
16. लकड़ी की निकासी के समय किसी भी लेबर के साथ यदि कोई दुर्घटना या जान माल की हानि होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। संस्थान की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. डीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, को किसी भी अवस्था में निविदा को स्वीकृत अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।


16/01/2026
संस्थान वास्तुविद

प्रतिलिपि:-

- 1- डीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सहायक कुलसचिव (वित्त एवं लेखा) को सूचनार्थ।
- 3- वन क्षेत्राधिकारी, वनप्रभाग, गणेशपुर, रुड़की को कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार के पत्रांक 6223/2-3, हरिद्वार दिनांक 04.03.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
- 4- सुरक्षा अधिकारी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की को सूचनार्थ व समय पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु।
- 5- सहायक अभियन्ता (उद्यान) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6- नोटिस बोर्ड।